Office Of The District Legal Services Authority, Deoghar

Phone No.06432-275496 Email; - deoghardlsa@gmail.com

DLSA/DEO/Letter No. 720 Dated: 06.07.2021

From: - Secretary,
District Legal Services Authority,
Deoghar.

To,

The Deputy Secretary,
Jharkhand State Legal Services Authority,
Ranchi.

Ref.: - Letter No. JHALSA/928 dated 21.03.2016.

Sir,

In compliance of above letter No., I am sending herewith the required information regarding details of programmes and other activities of the District Legal Services Authority, Deoghar for the month of June, 2021 including the programme relating to Legal-aid to poor and number of beneficiaries of different categories and alternative dispute Resolution Mechanisms- ADR Centers, Permanent Lok Adalats / Lok Adalats. No. of cases disposed off, no. of Lok Adalat held etc. during the Month of June, 2021.

Activities of DLSA, Deoghar for the month of June, 2021.

Legal-aid Beneficiaries

Sl. No	Month	No. of Persons benefited
1	June, 2021	11

Legal Awareness Camp

Sl. No	Month	No. of Legal Awareness Camp	No. of Persons benefited in Awareness Camp
1	June, 2021	01	26

Lok Adalats (Monthly/ National/ Mega)

Sl. No	Month	Name of Lok Adalat	Date	Cases disposed (including pre-litigation)	Amount Settled (In Rs.)
1	June, 2021	Lok Adalat	29.06.2021	01	Nil
2					

Jail Adalats

Sl. No	Date	No. Case disposed off	No. of Jail imprisoner released
1	20.06.2021	Nil	Nil

Activities at Mediation Centre for the month of June, 2021

Sl. No.	Months	Cases Received	Cases Settled	Unsettled / No Mediation	Pending
1	June, 2021	10	07	Nil	14

Activities at Permanent Lok Adalat for the month of June, 2021

Sl. No.	Months	Cases Received	Cases Settled	Pending
1	June, 2021	01	12	69

Activities in DLSA

- **05.06.2021** :- Plantation in Civil Court premises on the occasion of "Wold Enviorment Day"
- **06..06.2021**:- Virtual meeting with PLV on Project "SHISHU".
- **07.06.2021**:- Virtual meeting with PLV on Project "SHISHU".
- **11.06.2021** :- COVID 19 Vaccination Camp organized in NYAYA SADAN, Deoghar
- **11.06.2021** :- Meeting held on conference hall of Civil Court, Deoghar under Chairmanship of the Principal District Judge -cum- Chairman DLSA, Deoghar with The Deputy Commissioner, the D.D.C., the District Social Welfare Officer, the Child Protection Officer, members of C.W.C. and Secretary, DLSA, Deoghar on effective implementation of Project "SHISHU".
- **11.06.2021** :- Meeting with PLVs on effective implementation of Project "SHISHU" addressed by the Principal District Judge -cum- Chairman DLSA, Deoghar and Secretary, DLSA, Deoghar
- **20.06.2021**:- Jail Adalat with Legal Awareness Camp (virtual).
- **22.06.2021:-** Meeting with Bank Officials on upcoming National Lok Adalat by Secretary, DLSA, Deoghar.
- **24.06.2021:-** Meeting with Bank Officials on upcoming National Lok Adalat by the Principal District Judge -cum- Chairman, DLSA, Deoghar.
- **26.06.2021:-** e-Lok Adalat.

All PLVs are being aware to the people of Deoghar District about pandemic of COVID-19.

- The people of Deoghar District inspired to use of Mask and Sanitizer by PLVs.
- PLVs are helping to provide food items to the needy people.

Sincerely yours,

Sd/-
Secretary,
District Legal Services Authority,
Deoghar.

Encl: - Photo copy of news paper cuttings

प्रभात खबर
21-06-2021

वर्चुअल जेल अदालत में बंदियों को दी कानूनी जानकारी

देवघर . जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस अदालत के माध्यम से जेल में बंद बंदियों के आवेदनों की सुनवाई की गयी तथा विधि सम्मत निर्देश दिया गया. जेल अदालत के पश्चात बंदियों को कानूनी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़े पैनल अधिवक्ताओं ने बारी-बारी से दी. कार्यक्रम की शुरुआत रिमांड अधिवक्ता एफ मलीक ने की. उनके बाद अधिवक्ता सुनीता मजूमदार, अनिता चौधरी व राजकुमार शर्मा ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. वक्ताओं ने कहा कि जिन बंधुओं को कानूनी सहायता की जरूरत है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के नाम आवेदन दें, जहां से उन्हें पैनल अधिवक्ता मुहैया कराया जायेगा. वे अधिवक्ता उनके मामलों के न्यायालय में पक्ष रखेंगे और न्याय दिलाएंगे. इस अवसर पर कारा अधीक्षक, जेल के अधिकारी, डालसा के सहायक संजय कुमार सिन्हा आदि ऑनलाइन जुड़े और अपने-अपने विचार रखे.

30/06/21 HINDUSTAN

डालसा ने ली पीड़ित परिवार की सुध

देवघर। देवघर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह- जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष गौतम कुमार चौधरी के निर्देश पर डालसा के सचिव- सह- न्यायिक पदाधिकारी प्रताप चंद्रा ने जसीडीह थाना क्षेत्र के चरकी पहाड़ी गांव में मां-बेटे की मौत से संबंधित मामले में तत्परता बरतते हुए पीड़ित परिवार की सुध ली।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डालसा की ओर से पारा लीगल वालंटियर को पीड़ित परिवार की स्थिति की जानकारी लेने के लिए भेजा गया व स्थिति की जानकारी मिलने के बाद उस पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सचिव प्रताप चंद्रा ने बताया कि डालसा ऐसे पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा।

प्रभात खबर 12/06/21

न्याय सदन में लगाया गया टीकाकरण कैंप

देवघर | प्रतिनिधि

देवघर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष- सह- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की पहल पर न्यायालयकर्मियों एवं अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित न्याय सदन में विशेष वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया।

डालसा के सचिव प्रताप चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीनेशन कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने हेतु वैक्सीन ली। मौके पर उपस्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी ने लोगों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें, ताकि कोरोना संक्रमण की दर को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। देवघर जिला अधिवक्ता संघ के सचिव कृष्णधन खवाड़े (लाल बाबू) भी न्याय सदन में लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में अधिवक्ताओं को वैक्सीन दिलवाने में पूरी तरह तत्पर देखे गए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय परिसर में ही वैक्सीनेशन कैंप की मांग अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही थी। यह आयोजन अधिवक्ताओं और उनके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहा, इसके लिए उन्होंने पीडीजे एवं डालसा के प्रयास की सराहना भी की।

SATURDAY 12/06/21

योजना का लाभ पहुंचाना पीएलभी की सक्रियता पर निर्भर

देवघर ।देवघर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी ने शुक्रवार को देवघर व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित न्याय सदन में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत डालसा के पारा लीगल वालंटियर्स के साथ मुलाकात कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पी डी जे के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव- सह- न्यायिक पदाधिकारी प्रताप चन्द्रा भी उपस्थित थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैरा लीगल वालंटियर्स झालसा की शिशु योजना को लेकर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पारा लीगल वालंटियर्स ही आम जनता और न्यायालय के बीच की कड़ी हैं एवं सेतु का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि शिशु योजना के तहत अनाथ बच्चों को समुचित रूप में मदद पहुंचाई जा सके, इसके लिए पारा लीगल वालंटियर्स को सजग रहना होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बैठक कर बनाई रणनीति

देवघर। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की प्रेरणा पर चलाई जा रही शिशु योजना को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवघर गौतम कुमार चौधरी की अध्यक्षता में देवघर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। देवघर व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस बैठक में डालसा के उपाध्यक्ष-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, उप विकास आयुक्त, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रताप चंद्रा बाल कल्याण समिति एवं चाइल्डलाइन के सदस्यगण उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार(डालसा) के सचिव-सह- न्यायिक पदाधिकारी प्रताप चंद्रा ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में डालसा के अध्यक्ष- सह- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी ने झालसा की ह्रशिशु योजनाह्न के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए देवघर जिले में कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों की सूची पर चर्चा की।

प्रभात खबर
09/06/2021

सहायता राशि देते मारवाड़ी सम्मेलन व अधिवक्ता परिषद के सदस्य.

कोरोना से अनाथ हुए दो बच्चों के अभिभावकों को न्याय सदन में दी गयी सहायता राशि

देवघर. झालसा के तत्वावधान में मारवाड़ी सम्मेलन देवघर शाखा व अधिवक्ता परिषद देवघर की ओर से कोरोना से अनाथ हुए दो बच्चों को न्याय सदन के बार रूम में पांच-पांच हजार रुपये की सहायता राशि सौंपी गयी. डालसा सचिव प्रताप चंद्र ने बताया कि प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी के निर्देशन में जिला बाल कल्याण पदाधिकारी एवं बाल कल्याण समिति व डालसा के पारा लीगल वालंटियर की मदद पीड़ित परिवारों को चिन्हित किया गया था. मौके पर मारवाड़ी सम्मेलन, देवघर शाखा के उपाध्यक्ष जगदीश मुन्दड़ा, अशोक कुमार जैन, सचिव राज कुमार शर्मा व कोषाध्यक्ष संतोष कुमार गुटगुटिया तथा अधिवक्ता परिषद कोषाध्यक्ष आलोक कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्यारेलाल ठाकुर व राष्ट्रीय परिषद सदस्य उपस्थित थे. डालसा सचिव ने बताया कि सरकार की स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत समाज कल्याण विभाग से भी दोनों अनाथ बच्चों को प्रति माह दो-दो हजार की राशि देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है.

हिन्दुस्तान 09/06/2021

व्यवहार न्यायालय देवघर परिसर स्थित न्याय सदन में पीड़ित परिवार के साथ उपस्थित मारवाड़ी सम्मेलन, देवघर शाखा के पदाधिकारीगण।

अनाथ बच्चों को उपलब्ध हुई सहायता राशि : प्रताप

देवघर। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में मारवाड़ी सम्मेलन, देवघर शाखा एवं अधिवक्ता परिषद, देवघर जिला द्वारा कोरोना से अनाथ हुए दो बच्चों को देवघर व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित परिसर स्थित डालसा कार्यालय न्याय सदन के बार रूम में पांच- पांच हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। देवघर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह-न्यायिक पदाधिकारी प्रताप चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकार के अध्यक्ष-सह- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी के निर्देशन में जिला बाल कल्याण पदाधिकारी एवं बाल कल्याण समिति व डालसा के पारा लीगल वालंटियर की मदद पीड़ित परिवारों को चिन्हित किया गया। तब उन्होंने डालसा के रिटेनर अधिवक्ता- सह- बार रूम में शामिल राज कुमार शर्मा से संपर्क किया व रिटेनर अधिवक्ता की पहल पर मारवाड़ी सम्मेलन, देवघर शाखा द्वारा एक पीड़ित परिवार को 5000 व देवघर जिला अधिवक्ता परिषद द्वारा दूसरे पीड़ित परिवार को 5000 सहायता राशि मंगलवार को न्याय सदन में सौंपी गई। मौके पर मारवाड़ी सम्मेलन, देवघर शाखा के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में उपाध्यक्ष जगदीश मुन्दड़ा, अशोक कुमार जैन, सचिव राज कुमार शर्मा (अधिवक्ता) व कोषाध्यक्ष संतोष कुमार गुटगुटिया उपस्थित थे।

हिन्दुस्तान :- 08-06-2021.

डालसा की पेशकश पर संक्रमण से अनाथ बच्चों को सहायता राशि

पहल

देवघर | प्रतिनिधि

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में कोरोना संक्रमण से अनाथ बच्चों के सहायतार्थ चलाई जा रही शिशु योजना के तहत जिले में कोरोना संक्रमण के फलस्वरूप अनाथ हुए बच्चों को चिन्हित करने का कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जारी है।

देवघर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह-न्यायिक पदाधिकारी प्रताप चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकार के अध्यक्ष-सह- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी के निर्देशन में ऐसे बच्चों को चिन्हित करने का कार्य जारी है। फिलहाल देवघर जिले में दो बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनमें जसीडीह थाना अंतर्गत देवघर प्रखंड के मधुरापुर ग्राम की 4 वर्षीया अर्पिता कुमारी व सोनारायठाढ़ी थाना के जरका पंचायत अंतर्गत भिकोडीह ग्राम की नौ माह की रामी रानी के नाम शामिल हैं। पीड़ित परिवारों की पहचान जिला बाल कल्याण पदाधिकारी एवं जिला बाल कल्याण समिति एवं डालसा के पारा लीगल वालंटियर के माध्यम से की गई है।

सचिव प्रताप चंद्रा ने बताया कि पीड़ित परिवार की जानकारी मिलते ही अनाथ बच्चों के सहायतार्थ उनके द्वारा स्थानीय संस्थाओं से मदद की अपील की गई। उनकी अपील पर मारवाड़ी सम्मेलन, देवघर शाखा द्वारा एक पीड़ित परिवार को 5000 व देवघर जिला अधिवक्ता परिषद द्वारा दूसरे पीड़ित परिवार को 5000 सहायता राशि देने का आश्वासन दिया गया है। दोनों पीड़ित परिवारों को संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा यह सहायता राशि मंगलवार को व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित न्याय सदन में उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं देवघर जिला अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष विजय कौशिक ने कहा है कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से संबद्ध अधिवक्ता परिषद झारखंड की देवघर इकाई के कार्यकर्ता समर्पित भाव से सेवा में लगे रहते हैं।

सोमवार को प्रताप चंद्रा, देवघर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह-न्यायिक पदाधिकारी व विजय कौशिक, देवघर जिला अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष।

08/06/2021

कोरोना से पिता को खोने वाली अर्पिता को मारवाड़ी सम्मेलन देगा पांच हजार

- जिला विधिक शाखा की पहल पर किया गया प्रयास

वरीय संवाददाता, देवघर

कोरोना संक्रमण से पिता को खो चुकी चार वर्षीय अर्पिता कुमारी को मारवाड़ी सम्मेलन, देवघर शाखा की ओर से 5000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी. यह राशि पीड़ित परिवार के प्रतिनिधि को मंगलवार को देवघर व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय न्याय-सदन में दी जायेगी. यह जानकारी सम्मेलन के देवघर शाखा के अध्यक्ष अशोक कुमार डालमिया व सचिव राजकुमार शर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि देवघर प्रखंड के मथुरापुर गांव में चार वर्षीया अर्पिता कुमारी के पिता उत्तम ठाकुर की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गयी थी. परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होने की सूचना मिलने पर देवघर जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव प्रताप चंद्रा की अपील पर पीड़ित परिवार को मदद दी जायेगी.

कोरोना पीड़ित परिवार को मिलेगी आर्थिक सहायता

देवघर. देवघर जिला अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष विजय कौशिक ने बताया कि सोनारायठाढ़ी की महिला की कोरोना से मौत के बाद परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया करायी जायेगी . उनहोंने बताया कि सोनारायठाढ़ी थाना अंतर्गत जरका पंचायत के भीकोडीह गांव में नौ माह की नन्ही रामी रानी की मां की कोरोना संक्रमण से मृत्यु की जानकारी मिलते ही देवघर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर पीड़ित परिवार को परिषद की ओर से पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी . परिषद परिषद के अध्यक्ष विजय कौशिक, कोषाध्यक्ष आलोक अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य शशांक शेखर अग्रवाल, अधिवक्ता राजेश कुमार शाही एवं अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय परिषद सदस्य राज कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से पहल करते हुए तत्काल पांच हजार की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है . यह राशि पीड़ित परिवार के प्रतिनिधि को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में दी जायेगी .

हिंदुस्तान 25-06-2021

[illegible]

पीडीजे व डीसी सहित कई पहुंचे अनाथ बच्चों के घर

देवघर। [illegible]

प्रभात खबर 25-06-2021

पीडीजे ने तीन बच्चों के अभिभावक को प्रायोजन प्रमाण पत्र दिया

देवघर. [illegible] शिशु योजना के तहत देवघर जिले में चिह्नित तीन शिशुओं के अभिभावक को पीडीजे गौतम कुमार चौधरी ने प्रायोजन प्रमाण पत्र प्रदान किया. [illegible]

प्रभात खबर 27/06/21

वर्चुअल मासिक लोक अदालत में एक ही मामले में हुआ समझौता

देवघर. प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार देवघर के तत्वावधान में शनिवार को वर्चुअल मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसमें सिर्फ एक मामले का निष्पादन सुलह-समझौता के आधार पर हुआ. मामलों के निष्पादन के लिए न्यायालय परिसर में तीन बेंच बनाये गये थे. इसमें दर्जनों मामलों की सुनवाई हुई, लेकिन एक ही मुकदमा निष्पादित हो पाया. इससे 10 लोग लाभान्वित हुए. मामलों की सुनवाई के लिए बेंच संख्या एक में प्रधान जज सह [illegible] कुमार श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता नरेंद्र कुमार, उत्तम सिंह, बेंच संख्या दो में न्यायिक दंडाधिकारी [illegible], पैनल अधिवक्ता [illegible] प्रदीप, [illegible] एवं बेंच संख्या तीन में न्यायिक दंडाधिकारी [illegible] अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता संजय कुमार मिश्र, [illegible] मौजूद थे. मामले का निष्पादन बेंच संख्या दो में हुआ. जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव प्रताप चंद्र ने कहा कि 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सैकड़ों मामले का निष्पादन होगा. इसकी तैयारी शुरू हो गयी है.

हिन्दुस्तान 27/06/21

लोक अदालत में मामले का निष्पादन

देवघर। देवघर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को आयोजित मासिक ई-लोक अदालत में एक मामले का निष्पादन करते हुए 10 लोगों को राहत दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह-न्यायिक पदाधिकारी प्रताप चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि देवघर व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित न्याय सदन से संचालित इस मासिक ई-लोक अदालत में विभिन्न मामलों के निष्पादन के लिए तीन बेंचों का गठन किया गया था, जिनमें न्यायिक पदाधिकारियों समेत पैनल अधिवक्ताओं को शामिल किया गया था। सचिव प्रताप चंद्रा ने बताया कि आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शनिवार को वेबीनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए